न्यायालय : विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 03, जयपुर महानगर–द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : पूजा मीना, आर.जे.एस.

नियमित फौज. प्रकरण सं. : 252 / 2016

सी.आई.एस. नम्बर : 73672 / 2020

जयपुर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, किशनपोल शाखा, जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक, शिवेश दुबे।

.......परिवादी

बनाम

श्रीमती धापा देवी पत्नी श्री बिरदी चंद (के), निवासी– ए 3, जयलाल मुंशी का रास्ता, संतोषी माता के मंदिर के पीछे, चांदपोल, जयपुर।

.......अभियुक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थित –

1. परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री रामकुमार शर्मा, राज कुमार कुमावत।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री राकेश कुमार सैनी, विनोद कुमार सैनी, कपिल कुमार सैनी।

–: निर्णय :– दिनांक : 24.03.2026

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्टेण्डिंग आदेश क्रमांक एस.ओ. 07 / एस.ओ. 2020 / दिनांक 27.04.2020 की अनुपालना में प्रकरण के पक्षकार परिवादी व अभियुक्त की जाति का अंकन नहीं किया जा रहा है।

2. परिवादी की ओर से हस्तगत परिवाद दिनांक 17.10.2008 को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–11, जयपुर नगर जयपुर में प्रस्तुत किया गया, जो कालांतर में अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। बाद कार्यालय रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. परिवादी ने एक परिवाद इन संक्षिप्त तथ्यों का प्रस्तुत किया कि अभियुक्ता द्वारा परिवादी बैंक से व्यक्तिगत ऋण लिया गया था तथा उक्त ऋण की मासिक किस्त के भुगतान पेटे अभियुक्ता द्वारा परिवादी बैंक के पक्ष में अपने बचत खाता संख्या 2637 का एक चैक संख्या 065004, दिनांकित 12.08.2008, राशि 1,700/–रुपये, बैंक– जयपुर सैण्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चांदपोल शाखा, जयपुर का स्वयं हस्ताक्षर कर परिवादी को जारी किया। जिसे परिवादी द्वारा अपने बैंक में भुगतान हेतु दिनांक 12.08.2008 को प्रस्तुत किया, जो दिनांक 12.08.2008 को " Funds Insufficient" के रिमार्क के आधार पर अनादरित हो गया। जिसकी सूचना जरिये विधिक नोटिस अभियुक्ता को प्रेषित की गई, किन्तु अभियुक्ता के द्वारा उक्त चैक राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके उपरान्त विहित समयावधि में हस्तगत परिवाद प्रस्तुत किया गया।

4. न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से एन.आई. एक्ट सम्बोधित किया जाएगा) के अपराध का बनना पाया जाने पर प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया।

5. दिनांक 12.08.2025 को अभियुक्ता के उपस्थित आने पर धारा 138 एन.आई. एक्ट का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया गया, जिस पर अभियुक्ता द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गई।

6. परिवादी साक्ष्य के दौरान परिवादी ने मुख्य परीक्षण का अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं स्वयं को पीडब्ल्यू–1 शिवेश दुबे के रूप में परीक्षित करवाया। साथ ही परिवाद के समर्थन में परिवादी ने निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये।

क्र.सं.	दस्तावेज विवरण	प्रदर्शित दस्तावेजात
1.	असल चैक	प्रदर्श पी–1
2.	चैक रिटर्न मीमो	प्रदर्श पी–2
3.	विधिक नोटिस	प्रदर्श पी–3
4.	रजिस्ट्री डाक की रसीद	प्रदर्श पी–4
5.	यूपीसी रसीद	प्रदर्श पी–5
6.	स्थानांतरण आदेश	प्रदर्श पी–6
7.	पत्र दिनांकित 22.10.2021	प्रदर्श पी–7
8.	धापा देवी का बैंक स्टेटमेंट	प्रदर्श पी–8

अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य परिवादी बन्द की गई।

7. परिवादी साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्ता के विरुद्ध पत्रावली पर आई साक्ष्य के सन्दर्भ में अभियुक्ता का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत किया गया, जिसमें अभियुक्ता ने यह कथन किया कि **''मैंने जो लोन लिया वो बैंक वालों के एजेन्ट को चुका दिया जिसकी कोई रसीद भी नहीं दी। विवादित चैक का दुरुपयोग किया।''**

8. अभियुक्त पक्ष द्वारा साक्ष्य सफाई पेश करने से इनकार किया गया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

9. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि परिवादी द्वारा अभियुक्ता को व्यक्तिगत ऋण दिया गया था तथा जिसके मासिक किस्त के भुगतान पेटे अभियुक्ता द्वारा प्रश्नगत चैक हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया गया, जिसे परिवादी द्वारा अपनी बैंक में प्रस्तुत करने पर **'' Funds Insufficient "** के रिमार्क के आधार पर अनादरित हो गया, जिसके अनादरण की सूचना अभियुक्ता को दिये जाने पर भी उसका भुगतान नहीं किया गया। प्रश्नगत चैक पर अभियुक्ता के हस्ताक्षर हैं। धारा 118(ए) व धारा 139 एन.आई एक्ट की उपधारणा परिवादी के पक्ष में है। अतः परिवादी का परिवाद संदेह से परे साबित है।

10. जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि परिवादी द्वारा सिक्योरिटी पेटे रखे गए चैक का दुरूपयोग किया गया है। अभियुक्ता पर परिवाद में वर्णित चैक राशि अदा करने का कोई विधिक दायित्व नहीं है। इस प्रकार परिवादी का परिवाद सन्देह से परे साबित नहीं होने के कारण अभियुक्ता को दोषमुक्त किया जावे।

11. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

(क)–''क्या अभियुक्ता ने अपने विधिक दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए परिवादी को अपने बैंक– जयपुर सेंट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चांदपोल शाखा, जयपुर चैक सं. 065004, दिनांकित 12.08.2008, राशि 1,700/– रूपये का दिया, जिसे परिवादी द्वारा भुगतान हेतु विहित अवधि में

अपनी बैंक में प्रस्तुत किया गया, जो अंतिम रूप से रिटर्निंग मीमो दिनांकित 12.08.2008 को अनादरित होकर '' Funds Insufficient '' के नोट के साथ बिना भुगतान के परिवादी को लौटाया गया, जिसकी सूचना परिवादी को मिलने के बाद परिवादी ने तीस दिनों के अन्दर अभियुक्ता को चैक के अनादरण के तथ्य को वर्णित करते हुए चैक की राशि की मांग बाबत लिखित नोटिस दिया जो अभियुक्ता को मिलने के बाद भी अभियुक्ता ने पन्द्रह दिनों के भीतर चैक की राशि का भुगतान नहीं किया जिस पर वाद हेतुक उत्पन्न होने के बाद विहित अवधि में परिवादी द्वारा हस्तगत प्रकरण का परिवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ?''

(ख) यदि हां, तो अभियुक्ता किस दण्ड की पात्र है ?

12. विचारणीय बिन्दु (क) की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो उभय पक्षों की ओर से चैक अभियुक्ता के बैंक खाते का होने, चैक पर अभियुक्ता के हस्ताक्षर होने, चैक को वैधता अवधि के दौरान बैंक में समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने, चैक **''Funds Insufficient ''** के रिमार्क के साथ अनादरित होने, अभियुक्ता के ज्ञात सही पते पर परिवादी के द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये विधिक नोटिस प्रेषित करवाये जाने से संबंधित तथ्यों के संबंध में विवाद नहीं किया गया है। अतः इन तथ्यों की हद तक उभय पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों व प्रस्तुत साक्ष्य का उल्लेख व विवेचन सुसंगत नहीं है। न्यायालय द्वारा विरचित किए गए विचारणीय बिन्दु (क) के सम्बन्ध में परिवादी के द्वारा स्वयं को गवाह पी.डब्ल्यू.–1 के रूप में परीक्षित करवाया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–8 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया है।

13. विचारणीय प्रश्न (क) के संबंध में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम यह अवधारित किया जाना हैः–

(क) क्या परिवादी के पक्ष में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन हुआ है?

14. विधिक दायित्व के उन्मोचन के पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से निर्वहन के अस्तित्व के संबंध में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अवधारणा चलन में आती है। अधिनियम चैक धारक की जो कि वर्तमान मामले में परिवादी है, उसके पक्ष में दो अवधारणाएं कायम करता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–118 (क) के अनुसार ''प्रतिफल के विषय में यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई

थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी।''

धारा 139 एनआई एक्ट के अनुसार ''धारक के पक्ष में उपधारणा यदि तत्प्रतिकूल साबित न हो तो ऐसी उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में उल्लिखित किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए प्राप्त किया था।''

न्यायिक दृष्टांत **Rangappa vs. Mohan (2010) 11 SCC 441** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि–"Section 139 of the NI Act is stated to be an example of a reverse onus clause which is in tune with the legislative intent of improving the credibility of negotiable instruments. The Hon'ble Supreme Court observed that the offence under Section 138 of the NI Act is at best a regulatory offence and largely falls in the arena of a civil wrong and therefore the test of proportionality ought to guide the interpretation of the reverse onus clause. An accused may not be expected to discharge an unduly high standard of proof. A reverse onus clause requires the accused to raise a probable defence or create doubt about the existence of a legally enforceable debt or liability for thwarting the prosecution. The standard of proof for doing so would necessarily be on the basis of "preponderance of probabilities" and not "beyond shadow of any doubt." इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **(Subedar) Sumer Singh vs Amit Enterprises 2003(2) ISJ (Banking) 68** में यह मत प्रतिपादित किया है कि–अभियुक्त अपने हस्ताक्षर विवादित चैक पर होना स्वीकार करता है तो यह सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है कि अभियक्त ने विवादित चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन पेटे जारी नहीं किया था।

15. उपधारणा के सृजन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त– **Aps forex services pvt. td. V/s Shakti International fashion, 202 SCC Online SC 193** में यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि–**"Section 139 of the Act is an example of reverse onus clause and therefore once the issuance of the cheque has been admitted and even the signature on the cheque has been admitted there is always a presumption in favour of the complainant that**

there exists a legally enforceable debt or liability and thereafter it is for the accused to rebut such presumption by leading evidence."

16. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त **Triyambak S. Hegde vs Sripad criminal appeal Nos. 849850 of 2011** दिनांकित 23.09.2021 में भी यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि– **It is clear that the respondent has not disputed the signature on the cheque. If that be the position, as noted by the courts below a presumption would arise under section 139 in favour of the appellant who was the holder of the cheque."**

17. इस प्रकार अभियुक्ता के द्वारा चैक पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार करने पर परिवादी के पक्ष में उपधारणा का सृजन होता है बशर्ते उपधारणा के सृजन के लिये परिवादी के द्वारा प्रारम्भिक आधार तथ्यों को स्थापित किया गया हो। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में विवादित चैक प्रदर्श पी–1 दिनांकित 12.08.2008 का है जो वैधता अवधि के दौरान समाशोधन हेतु परिवादी के द्वारा अपने बैंक में प्रस्तुत किया जाना अपने परिवाद व शपथ पत्र में अंकित किया गया है। चैक पर अभियुक्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर होने का तथ्य किसी भी स्तर पर विवादित नहीं किया गया है। चैक अभियुक्ता के बैंक द्वारा दिनांक 12.08.2008 को **''Funds Insufficient''** के रिमार्क के साथ अनादरित किया गया है। उक्त तथ्य अनादरण मीमो प्रदर्श पी–2 से प्रकट होता है। परिवादी द्वारा चैक अनादरण की सूचना प्राप्त होने के अन्दर मियाद 30 दिवस अभियुक्ता को चैक अनादरण की सूचना देने व चैक राशि की मांग करने के लिये नोटिस दिनांक 10.09.2008 को अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रेषित करवाये जाने का तथ्य परिवाद पत्र में अंकित किया है। जिस संबंध में विधिक नोटिस प्रदर्श पी–3, डाक रसीद प्रदर्श पी–4 व यूपीसी रसीद प्रदर्श पी–5 प्रस्तुत किये गये हैं। जिन दस्तावेजों के संबंध में परिवादी से अभियुक्ता की ओर से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। परिवादी द्वारा अभियुक्ता के सही ज्ञात पते पर विधिक नोटिस प्रेषित किया गया जो अभियुक्ता को प्राप्त हो गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रेषित विधिक नोटिस प्रदर्श पी–3 में अभियुक्ता का वही पता अंकित है जो परिवाद पत्र, अभियुक्ता के जमानत मुचलके व वकालतनामा तथा बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी में अंकित किया गया है। उक्त नोटिस प्रेषित किये जाने की डाक रसीद प्रदर्श पी–4 व यूपीसी रसीद प्रदर्श पी–5 में भी अभियुक्ता का वही पता अंकित किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त– **CC ALAVI HAJI VS PALAPETTY MUHAMMED & ANS (2007) 06 SCS 555** में यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि– **Sec 27 gives rise to a presumption that the service of Notice has been effected when it is sent to the correct address by registered post to the address of the drawer, it is unnecessary to further over in the complaint that in spite of the return of the notice unserved, it is deemed to have been served or that the addressee is deemed to have knowledge of the notice. Unless and until the contrary is proved by the addressee service of notice is deemed to have been effected at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of business."**

18. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्ता की किसी भी स्तर पर यह प्रतिरक्षा नहीं रही है कि उसे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ ना ही इस संबंध में परिवादी को प्रतिपरीक्षा में कोई सुझाव दिया गया है। ऐसे में उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, धारा 27 जनरल क्लॉजेज एक्ट, धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपबंधित उपधारणा से अभियुक्ता को नोटिस की सूचना प्राप्त होने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है। इस प्रकार नोटिस की सूचना अभियुक्ता को हो जाने के अन्दर मियाद 15 दिवस चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करने पर वाद हेतुक उत्पन्न होने से एक माह के भीतर दिनांक 17.10.2008 को परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में चैक पर अभियुक्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर स्वीकृत होने व परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन होता है।

(ख). <u>अब न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का खण्डन किया गया है?</u>

19. इस संबंध में अभियुक्ता को ऐसी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करनी होगी जिससे कि न्यायालय प्रतिरक्षा के अस्तित्व को स्वीकार कर सके या अभियुक्ता द्वारा बताये गये कथन इतने संभाव्य हो कि कोई भी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति भी इस तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करे। यद्यपि संभाव्यता की प्रधानता के आधार पर उक्त उपधारणा को खण्डित किया जा सकता है, परन्तु अभियुक्ता को सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य पेश करनी होगी, केवल कथन मात्र से उक्त उपधारणा खण्डित नहीं मानी जा सकती।

20. धारा 139 की उपधारणा को खण्डित करने के लिये अभियुक्ता के पास दो साधन हैं पहला

परिवादी से जिरह या परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में संदेह उत्पन्न करना तथा दूसरा स्वयं की ओर से साक्ष्य सफाई पेश करके। **हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से परिवादी से जिरह की गई है। अतः उपधारणा के खण्डन के लिए परिवादी की जिरह सुसंगत है।**

21. पत्रावली पर आई साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि गवाह पीडब्ल्यू–1 शिवेश दुबे ने अपने मुख्य परीक्षण अन्तर्गत धारा 145 एन.आई. एक्ट में शपथ पत्र पेश कर अपने परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है एवं जिरह में मुख्यतः कथन किया है कि लोन का एग्रीमेंट उसके सामने नहीं हुआ। लोन एग्रीमेन्ट पत्रावली में शामिल नहीं है। उसकी जानकारी में नहीं है कि कितना लोन चुका दिया और कितना लोन बाकी है। उसकी जानकारी में नहीं है विधिक नोटिस कब भिजवाया गया था और वो मुलजिम को मिला या नहीं, क्योंकि वह तो दिसम्बर, 2025 में शाखा प्रबंधक, शाखा किशनपोल के पद पर नियुक्त हुआ है। गवाह ने इस सुझाव को सही होना बताया कि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि भिजवाया गया विधिक नोटिस मुलजिम को मिल गया हो। उसकी जानकारी में है कि परिवाद न्यायालय में योगेश बिहारी माथुर के द्वारा पेश किया गया था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना बताया कि जून, 2008 का चैक था जो 1,700 / –रुपये का था चैक के नम्बर उसे पता नहीं है अजखुद कहा कि महीने का उसे पता नहीं है लेकिन वर्ष 2008 का चैक है। चैक पर सम्पूर्ण विवरण मुलजिम द्वारा भरा हुआ दिया गया था। गवाह ने इस सुझाव को सही होना बताया कि प्रदर्श पी–1 के जो हस्ताक्षर और हस्तलिपि है वो अलग–अलग प्रतीत होती है। गवाह ने इस सुझाव को सही होना बताया कि शपथ पत्र के सत्यापन वाले भाग में उसका व उसके पिताजी का नाम अंकित नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया कि आज वह न्यायालय में बयान देने आया है वो उसके उच्च अधिकारी के कहने पर आया हो। गवाह ने इस सुझाव को सही होना बताया कि उसके उच्च अधिकारी द्वारा बयान देने के लिए उसे अधिकृत किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है।

22. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता का तर्क रहा है कि अभियुक्ता का परिवादी के प्रति किसी भी प्रकार का विधिक दायित्व देय नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा यह उज्र लिया गया है कि धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध को साबित करने के लिए परिवादी पक्ष को सर्वप्रथम इस तथ्य की पुष्टि करनी होगी कि अभियुक्ता द्वारा परिवादी के पक्ष में किसी भी प्रकार का विधिक दायित्व अथवा ऋण देय था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत

है कि परिवादी को अपना पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है एवं अपने परिवाद को सिद्ध करने का प्रथम भार परिवादी पर होता है। एक बार परिवादी पक्ष द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट में वर्णित सभी शर्तों की पूर्ति किए जाने के पश्चात् ही अभियुक्ता पक्ष को अपना बचाव संभावनाओं की प्रबलताओं की हद तक पेश करना होता है।

23. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू–1 शिवेश दुबे द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्ता ने परिवादी बैंक से व्यक्तिगत ऋण लिया था तथा उक्त ऋण की मासिक किस्त के भुगतान पेटे अभियुक्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर करते हुए परिवादी बैंक के पक्ष में अपना बचत खाता संख्या 2637 का एक चैक संख्या 065004 दिनांकित 12.08.2008, रुपये 1,700/– जारी किया गया। ऐसे में मूल रूप से जिस लोन का हवाला परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में किया है, उसके संदर्भ में लोन एग्रीमेन्ट प्रकरण के सबसे आधारभूत व महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। क्योंकि उक्त दस्तावेज के आधार पर ही प्रकरण संस्थित होकर वर्तमान स्तर तक पहुंचा है तथा उक्त लोन एग्रीमेन्ट की शर्तों की अपालना किए जाने पर ही अभियुक्ता द्वारा परिवादी को परिवाद में प्रश्नगत चैक प्रदत्त किया जाना बताया है। हालांकि परिवादी ने ऐसा कोई भी लोन एग्रीमेन्ट परिवाद के समर्थन में पेश नहीं किया है। ऐसे में उक्त अनुबंध की प्रकृति क्या थी तथा अभियुक्ता की तरफ कितना ऋण बकाया था तथा उसकी राशि की गणना किस प्रकार की गई, यह परिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही उक्त के संबंध में कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए हैं।

24. ऐसे में जिस लोन का हवाला परिवाद पत्र में दिया गया है, जिसमें दस्तावेज के माध्यम से यह प्रमाणित हो सकता था कि परिवादी बैंक व अभियुक्ता के मध्य कितनी राशि को लेकर लोन एग्रीमेन्ट किया गया तथा उक्त राशि कितनी किश्तों में अदा की जानी थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्ता द्वारा किस समय किश्त अदा नहीं की गई, यह भी उक्त दस्तावेज के जरिए ही प्रमाणित हो सकता था। परन्तु परिवादी ने ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। इस संबंध में विधिक स्थिति देखी जाए तो **धारा 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** में यह प्रावधानित है किः–

मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जनः– जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों को, या किसी बात को, जिनके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, अंतिम पिछली धारा के अनुसार

साबित किया जा चुका हो, तब ऐसी किसी लिखत के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबंधनों का खण्डन करने के या उनमें फेरफान करने के या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण न किया जाएगाः–

परन्तुक (1)– ऐसा कोई तथ्य साबित किया जा सकेगा, जो किसी दस्तावेज को अविधिमान्य बना दे या जो किसी व्यक्ति को तत्संबंधी किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे, यथा कपट, अभित्रास, अवैधता, सम्यक् निष्पादन का अभाव किसी संविदाकारी पक्षकार में सामर्थ्य का अभाव, प्रतिफल का अभाव या निष्फलता या विधि की या तथ्य की भूल।

परन्तुक (2)– किसी विषय के बारे में, जिसके बारे में दस्तावेज मौन है, और जो उसके निबंधनों से असंगत नहीं है, किसी पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा। इस पर विचार करते समय कि वह परन्तुक लागू होता है या नहीं, न्यायालय दस्तावेज की प्ररूपिता की मात्रा को ध्यान में रखेगा।

परन्तुक (3)– ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की पुरोभाव्य शर्त गठित करने वाली किसी पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा।

परन्तुक (4)– ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन को विखंडित या उपांतरित करने के लिए किसी सुभिन्न पाश्चिक मौखिक करार का अस्तित्व उन अवस्थाओं के सिवाय साबित किया जा सकेगा, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति का व्ययन लिखित हो अथवा जिनमें दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के बारे में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका है।

परन्तुक (5)– कोई प्रथा या रूढ़ि, जिसके द्वारा किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियां उस प्रकार की संविदाओं से प्रायः उपाबद्ध रहती है, साबित की जा सकेंगी।

परन्तुक (6)– कोई तथ्य, जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है, साबित किया जा सकेगा।

25. ऐसे में अभियुक्ता द्वारा परिवादी बैंक से कोई लोन लिया गया हो तथा उस बाबत् कोई

अनुबंध किया गया था, तो सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य के सिद्धांत के आधार पर परिवादी पक्ष को उक्त दस्तावेज पत्रावली में पेश कर प्रदर्शित करवाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं करवाया गया है। हालांकि परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट प्रदर्श पी–8 पेश किया है। परन्तु उक्त स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट भी **''धापू''** के नाम से जारी होना दर्शित होता है, जबकि हस्तगत परिवाद श्रीमती धापा देवी के विरुद्ध पेश किया गया है। उक्त लोन राशि क्या थी तथा कितनी राशि अभियुक्ता को दी गई, इस संबंध में परिवादी की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास आया है। इसी क्रम में परिवादी गवाह पीडब्ल्यू–1 ने इस तथ्य को स्वीकारा है कि उसके द्वारा लोन एग्रीमेन्ट पत्रावली में पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता हो कि लोन धापा देवी के नाम से स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा यह भी जाहिर नहीं किया गया कि उक्त लोन राशि कितने समय के लिए अभियुक्ता को दी गई थी, न ही ऐसा कोई लोन का Schedule पत्रावली पर पेश किया गया है। परिवादी ने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की कि अभियुक्ता ने कितना लोन चुका दिया और कितना लोन बाकी है। धापा देवी को लोन एग्रीमेन्ट का रि–पेमेन्ट करने के लिए कितना समय दिया गया था, यह भी उसे ध्यान नहीं।

26. इस प्रकार पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्ता द्वारा उसके विरुद्ध ली गई उपधारणा के खण्डन में यह बचाव लिया गया है कि उसके द्वारा किसी विधिक ऋण की अदायगी पेटे विवादित चैक परिवादी को प्रदत्त नहीं किया गया। इस संबंध में परिवादी द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है, वह यह प्रमाणित करने में अपर्याप्त है कि अभियुक्ता को परिवादी बैंक ने कोई विधिक ऋण दिया हो। ऐसे में यह संभव नहीं है कि किसी भी दस्तावेज के निष्पादन या किसी भी खाते के रखरखाव के बिना उधारकर्ताओं को ऋण दिया जा रहा हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कथित ऋण के संबंध में परिवादी द्वारा प्रथमतः परिवाद व शपथ पत्र के साथ इस प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे परिवादी बैंक और अभियुक्ता के मध्य कोई अनुबंध होना जाहिर आता हो। इसके अतिरिक्त वर्तमान मामले में अभियुक्ता ने न केवल किसी भी प्रकार के दायित्व से इंकार किया है अपितु परिवादी की ओर से पत्रावली पर आई साक्ष्य का खण्डन कर यह तथ्य स्थापित किया गया है कि वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत चैक किसी भी विधिक ऋण की अदायगी के संबंध में परिवादी को प्रदत्त नहीं किया गया।

27. चूंकि परिवाद को साबित करने का प्रथम भार परिवादी पक्ष पर है एवं उनके द्वारा यह साबित किया जाना था कि अभियुक्ता द्वारा विवादित चैक किस विधिक दायित्व के पूर्णतः उन्मोचन के लिए दिया गया हो। जिससे पूर्व यह सिद्ध करना आवश्यक है कि किसी भी प्रकार का विधिक दायित्व अभियुक्त पक्ष पर परिवादी को देय है।

28. चूंकि धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत उसके मुख्य घटकों का पूर्ण होना आवश्यक है, जिससे परिवादी को स्वयं के स्तर पर यह साबित करना है कि अभियुक्ता द्वारा दिया गया विवादित चैक किस विधिक दायित्व के अदायगी पेटे परिवादी को प्रदत्त किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिवादी को अपना पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है व अभियुक्ता द्वारा परिवादी से की गई प्रतिपरीक्षण व लिए गए बचाव को संभावनाओं की प्रबलता की हद तक अपने पक्ष में साबित करना होता है। यदि परिवादी की कहानी में संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्ता को दिया जाता है। उपरोक्त विवेचनानुसार व साक्ष्य के विवेचन के आधार पर परिवादी यह युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्ता **श्रीमती धापा देवी पत्नी श्री बिरदी चंद (के),** निवासी– ए 3, जयलाल मुंशी का रास्ता, संतोषी माता के मंदिर के पीछे, चांदपोल, जयपुर को हस्तगत प्रकरण में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

29. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार परिवादी द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का मामला पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं पाए जाने से अभियुक्ता श्रीमती धापा देवी पत्नी श्री बिरदी चंद को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

30. अतः अभियुक्ता **श्रीमती धापा देवी पत्नी श्री बिरदी चंद (के),** निवासी– ए 3, जयलाल मुंशी का रास्ता, संतोषी माता के मंदिर के पीछे, चांदपोल, जयपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्ता के पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अभियुक्ता धारा **437ए दण्ड प्रकिया संहिता** के अनुसार आगामी **6 माह** के लिए अपीलीय न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय में उपस्थिति हेतु **10,000 / –रुपये** का मुचलका अथवा इसी कदर की एक संतोषप्रद जमानत प्रस्तुत कर

प्रमाणित करावे।

31. निर्णय की एक प्रति अविलम्ब ई–कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जाये।

(पूजा मीना)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट
एन.आई.एक्ट प्रकरण संख्या–03,
जयपुर महानगर द्वितीय

32. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(पूजा मीना)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट
एन.आई.एक्ट प्रकरण संख्या–03,
जयपुर महानगर द्वितीय

————————————————